

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
सहस्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।

फोन नं० 0135 2608108 फैक्स नं०-2608108

संख्या प्र 232/प्रवर्तन/स०सु०/1-8(25)/2017

दिनांक: 28 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, आवकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
- 9- कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला-देहरादून।
- 10- रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58/37-बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

**विषय:-**मा० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की पृथक-पृथक आख्या (Action Taken Report) प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक मा० परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 23-05-2015, 13-06-2016, 21-09-2016, 19-12-2016 तथा 15-05-2017 को सम्पन्न हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकों का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कार्यवृत्त की प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की गई है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-907/ix-1/23(2014)/2017 दिनांक 22-12-2017 के द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 27-12-2017 को आहूत की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये यथाशीघ्र आहूत की जानी प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की पूर्व बैठकों में दिए गये निर्देशों पर अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अद्यतन की गई कार्यवाही की पृथक-पृथक आख्या (Action Taken Report) प्राथमिकता के आधार पर लौटती डॉक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार संकलित सूचना प्रस्तावित बैठक में प्रस्तुत की जा सके।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

संख्या २२३२-प्रवर्तन/स०सु०/१-८(२५)/२०१७ समदिनांकित

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- १- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- २- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ३- प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, गृह, लोक निर्माण, शहरी, आबकारी, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा, सम्बन्धित विभाग।



(सुमिता सिंह)  
अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

०/८